

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक 12/एक-15-20/16

शिवपुरी, दिनांक 19/01/2026

(कार्य विभाजन-2026)

अ— मैं, राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यवहारिक कार्य विभाजन संबंधी पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, व्यवहार मण्डल शिवपुरी में पदस्थ प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीशों के मध्य व्यवहारिक (सिविल) कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूँ :-

यह आदेश दिनांक 21.01.2026 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।

इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं मामले जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित हैं, या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
01	(श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी) प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी	सिविल जिला शिवपुरी	(1) मध्य प्रदेश नगर पालिका/नगर पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली चुनाव याचिका एवं पुनरीक्षण आवेदन। (2) म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 6 तथा भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत संस्थित वाद। (3) वे सभी सिविल वाद, अपील एवं याचिकायें जिनमें केन्द्रीय शासन के अधिनियम द्वारा क्षेत्राधिकार दिया गया हो या जो अन्य किसी न्यायाधीश को इस कार्य विभाजन के जरिये नहीं सौंपे गये हों। (4) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत, आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, फिजीकल, सुभाषपुरा, सतनवाड़ा, गोपालपुर, बम्हारी, सुरवाया, सिरसौद, पोहरी, बैराड़, छर्च, गोवर्धन, कोलारस, इंदार, रन्नौद, तेंदुआ एवं बदरवास के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (5) शिवपुरी मुख्यालय पर पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं समस्त प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय शिवपुरी के द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			(6) तहसील कोलारस एवं पोहरी में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें। (7) म0प्र0 शासन विधि एवं विद्यायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन सिविल जिला शिवपुरी की स्थानीय सीमाओं के संबंध में, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले।
02	(श्री अशोक कुमार शर्मा(Jr.)) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	—	(1) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें।
03	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	—	(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
04	द्वितीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	—	“रिक्त न्यायालय”
05	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	—	(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
06	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी	—	(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कोलारस, बदरवास, पोहरी, बैराड़ एवं छर्च के क्षेत्राधिकार में उद्भूत मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण छोड़कर समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (4) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र संबंधी मामले (भाग-10 को छोड़कर)। (5) प्रोविन्शियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रुपये 50,000-00 से अधिक हो।
07	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, कोलारस, बदरवास एवं पोहरी, बैराड़	(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रकरण। (4) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, फिजीकल, इंदार एवं रन्नौद के क्षेत्राधिकार में उद्भूत मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण छोड़कर समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (5) माननीय उच्चतम न्यायालय की एस.एल.पी. नम्बर 11801-11804/2005 जयप्रकाश विरुद्ध मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एफ.ए.ओ. /842/2013 राजेश त्यागी विरुद्ध जयवीर आदि न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में जिला मुख्यालय, शिवपुरी पर अधिकृत न्यायाधीश। (6) को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण याचिका। (7) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 500/-से ऊपर परन्तु रुपये 1000/-से अधिक न हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण वाद। (08) अन्य न्यायालयों से डिक्री के निष्पादन हेतु अंतरण पर प्राप्त प्रकरण। (09) जिला मुख्यालय शिवपुरी पर पूर्व में पदस्थ रहे जिला न्यायाधीश/प्रशिक्षु जिला न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां तथा क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
08	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम् जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, कोलारस, बदरवास एवं पोहरी, बैराड़	(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत, आरक्षी केन्द्र गोवर्धन, तेंदुआ एवं सिरसौद के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरणों को छोड़कर समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।
09	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया) सप्तम् जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, कोलारस, बदरवास एवं पोहरी, बैराड़	(1) रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक मूल्यांकन के सिविल वाद तथा उनसे उत्पन्न प्रकीर्ण सिविल वाद एवं प्रवर्तन मामले जो शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी एवं बैराड़ तहसील के हों। (2) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत, आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा, सतनवाड़ा, गोपालपुर, बम्हारी एवं सुरवाया के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरणों को छोड़कर समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) म0प्र0 रियल एस्टेट रेग्यूलेशन ट्रिब्यूनल भोपाल के न्यायनिर्णीत करने वाले अधिकारी, प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन संबंधी मामले। (6) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस। (7) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस। (8) आर्बीट्रेशन एण्ड कॉंसिलिएशन एक्ट-1996 के अंतर्गत तहसील शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, बदरवास और बैराड़ क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के बाहर हों एवं अन्यथा बाधित न हों।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
10	(श्री किशोर कुमार गहलोत) जिला न्यायाधीश पिछोर	तहसील पिछोर एवं खनियाधाना	(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) हिन्दू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां। (3) हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां। (4) तहसील <u>पिछोर एवं खनियाधाना</u> में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश <u>कनिष्ठ खण्ड</u> के द्वारा पारित निर्णय, डिक्ती एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें। (5) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (6) रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक मूल्यांकन के सिविल वाद तथा इनसे उत्पन्न प्रकीर्ण वाद एवं प्रवर्तन मामले। (7) हिन्दू विवाह अधिनियम तथा मुस्लिम विधि, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत संस्थित मामले जो तहसील पिछोर एवं तहसील खनियाधाना क्षेत्र से उद्भूत हों। (8) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र मायापुर, बामौरकलां एवं खनियाधाना के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (09) को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण। (10) गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाहियां/वाद। (11) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र संबंधी मामले (भाग-10 को छोड़कर)। (12) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस। (13) आर्बीट्रेशन एण्ड कॉंसिलिएशन एक्ट-1996 के अंतर्गत तहसील पिछोर एवं खनियाधाना क्षेत्र के उद्भूत वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के बाहर हों एवं अन्यथा बाधित न हों। (14) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 500 से अधिक परन्तु रुपये 1000 से अधिक न हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण सिविल वाद/कार्यवाहियां।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			(15) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रु 50,000-00 से अधिक है। (16) तहसील पिछोर पर पदस्थ रहे जिला न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां तथा क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।
11	(श्री राजेश कुमार अग्रवाल(सीनि.)) अति जिला न्यायाधीश पिछोर	तहसील पिछोर एवं खनियाधान I	(1) तहसील पिछोर एवं खनियाधाना में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें। (2) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र पिछोर एवं भौंती के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (4) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें।
12	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम जिला न्यायाधीश, करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) हिन्दू विवाह अधिनियम तथा मुस्लिम विधि, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत संस्थित मामले जो तहसील करैरा एवं नरवर क्षेत्र से उद्भूत हों। (3) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र करैरा एवं सीहोर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) तहसील करैरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें। (6) गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाहियां/वाद। (7) हिन्दू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाहियां/वाद। (8) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र संबंधी मामले (भाग-10 को छोड़कर)। (9) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रु 50,000-00 से अधिक है।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			(10) तहसील करैरा पर पदस्थ रहे जिला न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां तथा क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्यवाहियां। (11) को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण। (12) लघुवाद जिनका मूल्य 500 से ऊपर परन्तु रुपये 1000 से अधिक नहीं तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन/प्रकीर्ण सिविलवाद/ कार्यवाहियां। (13) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस। (14) आर्बीट्रेशन एण्ड कॉंसिलिएशन एक्ट-1996 के अंतर्गत तहसील करैरा एवं नरवर क्षेत्र के उद्भूत वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के बाहर हों एवं अन्यथा बाधित न हों।
13	(श्रीमती मोनिका आध्या) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	(1) रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक मूल्यांकन के सिविल वाद तथा इनसे उत्पन्न प्रकीर्ण सिविल वाद एवं प्रवर्तन मामले। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (4) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र अमोला, नरवर एवं दिनारा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (5) हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां। (6) तहसील करैरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।
14	तृतीय जिला न्यायाधीश, करैरा	—	“रिक्त न्यायालय”

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
15	(श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (4) जिला मुख्यालय शिवपुरी पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। (5) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 201 से 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (6) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। (7) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रुपये 50000-00 से अधिक न हो। (8) म0प्र0 नगर पालिका अधि0 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें। (9) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी एवं अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
16	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।
17	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शिवपुरी	राजस्व तहसील शिवपुरी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतें।	(1) ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत आने वाले समस्त सिविल मामले एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।
18	(श्रीमती ऋचा सिंह राजावत) अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
19	(सुश्री निहारिका व्यास) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले (माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च)। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (4) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
20	(श्री धर्मवीर सिंह राठौर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले (माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर)। (2) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) जिला मुख्यालय शिवपुरी पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
21	(कु० प्रत्यक्षा कुलेश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	—	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले (माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई)। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
22	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	—	“रिक्त न्यायालय”
23	(सुश्री प्रिया शर्मा) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	—	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
24	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले (माह नवम्बर एवं दिसम्बर)। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
25	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	—	“ रिक्त न्यायालय ”
26	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	—	“ रिक्त न्यायालय ”
27	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय करैरा	राजस्व तहसील करैरा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतें	(1) ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत आने वाले समस्त सिविल मामले एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।
28	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा	तहसील नरवर	(1) तहसील नरवर के क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
29	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	(1) तहसील करैरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (4) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 201 से 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (5) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के प्रकरण। (6) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रुपये 50,000-00 से अधिक न हो। (7) म0प्र0 नगर पालिका अधि0 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें। (8) तहसील करैरा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
30	(श्री भूपेन्द्र सिंह सीनि.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा	तहसील नरवर	(1) तहसील नरवर के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसे सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
31	(सुश्री काजल रेनीवाल) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	(1) तहसील करैरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसे सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			(5) तहसील करैरा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड , जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
32	(श्री रज्जेश पाल) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा	—	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
33	(श्रीमती अंजली पटेल) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पोहरी	तहसील पोहरी एवं बैराड़	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 201 से 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। (4) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रु0 50,000-00 से अधिक न हो। (5) म0प्र0 नगर पालिका अधि0 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें। (6) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (7) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (8) तहसील पोहरी पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
34	(सुश्री काजल नायक) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पोहरी	तहसील पोहरी एवं बैराड़	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			(3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) तहसील पोहरी पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
35	(श्री विकास विश्वकर्मा) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	तहसील पिछोर एवं खनियाधाना	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपया 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 201 से रुपये 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। (4) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रुपये 50,000-00 से अधिक न हो। (5) म0प्र0 नगर पालिका अधि0 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें। (6) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (7) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (8) तहसील पिछोर पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। (9) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (10) तहसील खनियाधाना पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
36	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	—	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
37	(सुश्री नेहा प्रजापति) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिछोर	तहसील पिछोर	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) तहसील पिछोर पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
38	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोलारस	—	(रिक्त न्यायालय)
39	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोलारस	तहसील कोलारस एवं बदरवास	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 201 से 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। (4) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रुपये 50,000-00 से अधिक न हो। (5) म0प्र0 नगर पालिका अधि0 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें। (6) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (7) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (8) तहसील कोलारस पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। (9) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोलारस के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
40	(सुश्री प्रीति पाण्डेय) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोलारस	—	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।
41	(श्रीमती रजनी मीरोठा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोलारस	तहसील कोलारस एवं बदरवास	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) तहसील कोलारस पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
42	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोलारस	—	“रिक्त न्यायालय”
43	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खनियाधाना	—	“रिक्त न्यायालय”
44	(सुश्री मोनिका वर्मा) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खनियाधाना	तहसील खनियाधाना	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) तहसील खनियाधाना पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।

ब- मैं, राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी एतद् द्वारा, मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15, 18 एवं 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित करते हुये, यह आदेश देता हूँ कि नीचे दी गयी सारिणी के कालम क्रमांक 02 में दर्शाये गये न्यायिक अधिकारी की किसी प्रकार की अनुपस्थिति अथवा अवकाश काल में नीचे दी गयी सारिणी के कालम क्रमांक 03, 04 एवं 05 में क्रमशः वर्णित न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक सिविल कार्य का निपटारा करेंगे।

कं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेगें।		
1	2	3	4	5
01	(श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी) प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अशोक कुमार शर्मा(Jr.)) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
02	(श्री अशोक कुमार शर्मा(Jr.)) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम जिला न्यायाधीश शिवपुरी
04	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी
04	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी

कं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेगें।		
1	2	3	4	5
05	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
06	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी
07	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
08	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
09	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा	(श्रीमती मोनिका यादव) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री किशोर कुमार गहलोत) जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री राजेश कुमार अग्रवाल) अति० जिला न्यायाधीश पिछोर
10	(श्रीमती मोनिका यादव) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री राजेश कुमार अग्रवाल) अति० जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री किशोर कुमार गहलोत) जिला न्यायाधीश पिछोर
11	(श्री किशोर कुमार गहलोत) जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री राजेश कुमार अग्रवाल) अति० जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा	(श्रीमती मोनिका यादव) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा
12	(श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनि.)) अति० जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री किशोर कुमार गहलोत) जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्रीमती मोनिका यादव) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा

कं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे।		
13	(श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी
14	(श्रीमती ऋचा सिंह राजावत) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस
15	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस
16	(सुश्री निहारिका व्यास) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री धर्मवीर सिंह राठौर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री प्रिया शर्मा) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(कु० प्रत्यक्षा कुलेश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी
17	(श्री धर्मवीर सिंह राठौर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(कु० प्रत्यक्षा कुलेश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री निहारिका व्यास) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी
18	(कु० प्रत्यक्षा कुलेश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री प्रिया शर्मा) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(सुश्री निहारिका व्यास) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी
19	(सुश्री प्रिया शर्मा) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(कु० प्रत्यक्षा कुलेश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री धर्मवीर सिंह राठौर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी

कं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे।		
20	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(सुश्री निहारिका व्यास) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री धर्मवीर सिंह राठौर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री प्रिया शर्मा) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी
21	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर
22	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर
23	(श्री भूपेन्द्र सिंह (सी.नि.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा	(सुश्री काजल रेनीवाल) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री रज्जेश पाल) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
24	(सुश्री काजल रेनीवाल) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री रज्जेश पाल) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री भूपेन्द्र सिंह (सी.नि.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
25	(श्री रज्जेश पाल) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री भूपेन्द्र सिंह (सी.नि.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा	(सुश्री काजल रेनीवाल) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
26	(श्रीमती अंजली पटेल) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पोहरी	(श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस

कं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे।		
27	(सुश्री काजल नायक) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पोहरी	(श्रीमती अंजली पटेल) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पोहरी	(सुश्री प्रीति परिहार) षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(कु० प्रत्यक्षा कुलेश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी
28	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
29	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
30	(सुश्री नेहा प्रजापति) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(सुश्री मोनिका वर्मा) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खनियाधाना
31	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(सुश्री प्रीति पाण्डेय) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी
32	(सुश्री प्रीति पाण्डेय) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी
33	(श्रीमती रजनी मीरोठा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कोलारस	(सुश्री प्रीति पाण्डेय) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(श्री राहुल दुबे) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(सुश्री निहारिका व्यास) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी

कं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटारेंगे।		
34	(सुश्री मोनिका वर्मा) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खनियाधाना	(सुश्री नेहा प्रजापति) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर

नोट :-

- 01- उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3, 4 व 5 पर अंकित न्यायिक अधिकारीगण के भी अनुपस्थिति/अवकाश पर होने की स्थिति में जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालय के वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश के पास अत्यावश्यक कार्य का प्रभार रहेगा।
- 02- जिला मुख्यालय एवं तहसील करैरा, पिछोर, पोहरी, कोलारस, खनियाधाना पर अपर सत्र न्यायालय/फास्टट्रेक, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां उन्हीं न्यायिक अधिकारीगण द्वारा संपादित की जावेगीं जिन्हें रिक्त न्यायालयों का प्रभार सौंपा गया है।

— sd —

(राजेन्द्र प्रसाद सोनी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी (म.प्र.)